(न्यायमूर्ति अमित रावल के समक्ष)

सिमरन सिंह..... प्रार्थी

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य ..... उत्तरदाताओं

2012 की सिविल रिट याचिका संख्या 23010

30 मार्च 2015 को हुआ फैसला

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 - अनुच्छेद 3, 12, 13, 14, 20 और 22 - हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, 2008 - एस.27 - डीम्ड विश्वविद्यालय - डिप्लोमा की मान्यता - याचिकाकर्ता ने महर्षि मार्कंडेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया - याचिकाकर्ता ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए आवेदन किया - याचिकाकर्ता को यह जानकारी प्राप्त हुई कि याचिकाकर्ता से कम योग्यता वाले अभ्यर्थी पहले ही सेवा में शामिल हो चुके हैं- याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि महर्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (एचएसबीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और इसलिए, उक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया डिप्लोमा मान्यता प्राप्त नहीं है - एचएसबीटीई के पास केवल डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा से संबंधित नीति के मामलों पर सरकार को सलाह देने की शक्ति और कर्तव्य है - यह "डीम्ड विश्वविद्यालय" से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी भी डिप्लोमा की संबद्धता या मान्यता की मांग करने या मांगने की किसी भी शक्ति से प्रोत्साहित नहीं है। महर्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय, यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत घोषित एक डीम्ड विश्वविद्यालय होने के नाते, एआईसीटीई का अनुमोदन था - विश्वविद्यालय अधिनियम अपने

आप में एक संहिता है - हरियाणा सरकार 2008 के अधिनियम की घोषणा द्वारा शक्तियों का उल्लंघन नहीं कर सकती है, केंद्र सरकार की सीमाएं - याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त डिप्लोमा एक मान्यता प्राप्त डिप्लोमा है - इसे तकनीकी शिक्षा विभाग से किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा सरकार और साथ ही बोर्ड के साथ संबद्धता - याचिकाकर्ता जूनियर इंजीनियर (सिविल) के रूप में नियुक्ति का हकदार होगा।

2008 के हरियाणा अधिनियम संख्या 19 की धारा 27 के अनुसार, एचएसबीटीई के पास केवल डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा से संबंधित नीति के मामलों पर सरकार को सलाह देने और पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करने की शक्ति और कर्तव्य है, लेकिन पूरे अधिनियम में, किसी भी व्यक्ति द्वारा 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' से प्राप्त किसी भी डिप्लोमा की संबद्धता या मान्यता मांगने या मांगने की कोई शक्ति नहीं है। यहां तक कि अध्याय 5 के तहत धारा 40 भी बोर्ड को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से शासी परिषद के अनुमोदन से नियमितीकरण करने का अधिकार देती है।

(पैरा 28)

इसके अलावा, यह माना गया कि महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, एक डीम्ड विश्वविद्यालय होने के नाते, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत घोषित किया गया था, जिसे एआईसीटीई की मंजूरी प्राप्त थी।

(पैरा 29)

इसके अलावा, यह भी कहा गया कि जहां तक एचएसबीटीई के साथ संबद्धता का संबंध है, उक्त याचिका प्रतिवादियों के चेहरे पर स्पष्ट रूप से आती है क्योंकि अधिनियम के किसी भी प्रावधान में डीम्ड विश्वविद्यालयों के विनियमों/ज्ञापन संघ पर बोर्ड द्वारा कोई गहरा और व्यापक नियंत्रण प्रदान नहीं किया गया है। बोर्ड की भूमिका केवल परामर्शी प्रकृति की होती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विनियम न्यायालय के मन में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि यह केवल एक मानित विश्र्वविद्यालय है, जिसे डिग्रियों और डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा और परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई है। विनियमों का विवरण पहले ही ऊपर दिया जा चुका है, जिसे किसी भी पुनरावृत्ति से बचने के लिए दोहराया नहीं जा सकता है।

(पैरा 31)

इसके अलावा, यह माना गया कि उपर्युक्त नियमों का एक स्पष्ट अध्ययन, जिन्हें संस्थान द्वारा एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया है, प्रतिवादी नंबर 4 के पक्ष में संतुलन नहीं झुकाता है, यह तर्क देने के लिए कि ऐसे नियमों के लिए अनिवार्य रूप से संबद्धता की आवश्यकता होती है डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी बोर्ड के साथ या तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार से बहुत कम अनुमोदन के साथ। विश्वविद्यालय अधिनियम अपने आप में एक संहिता है। हरियाणा सरकार 2008 अधिनियम के प्रख्यापन द्वारा केंद्र सरकार की शक्तियों, सीमाओं का अतिक्रमण/उल्लंघन नहीं कर सकती है।

(पैरा 32)

इसके अलावा, यह माना गया कि राज्य ने पहले ही डीम्ड विश्वविद्यालयों/संस्थानों की गतिविधियों, एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित तकनीकी पाठ्यक्रमों की पेशकश, प्रवेश संबंधी शुल्क मामलों के संबंध में एक निगरानी समिति का गठन करके एक गलती की थी और अपनी गलती का एहसास करते हुए, 'डीम्ड विश्वविद्यालय' शब्द को हटा दिया। 'अधिसूचना (अनुलग्नक पी-10) से पत्र दिनांक 14-10-2009 (अनुलग्नक पी-11) के माध्यम से, वह भी रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, जिसे विश्वविद्यालय ने अधिसूचना को चुनौती देते हुए दायर किया

था। 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' का दर्जा दिया जाना यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों द्वारा सख्ती से नियंत्रित होता है। कोई अन्य स्थानीय अधिनियम या बोर्ड का गठन करके सरकार द्वारा किया गया प्रयास यूजीसी की शक्तियों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है, जिसके तहत अधिनियम की सहायता लेकर डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए डिप्लोमा को लागू किया गया है। इस आधार पर मान्यता प्राप्त नहीं मानी जाएगी कि संस्थान/विश्वविद्यालय बोर्ड से संबद्ध नहीं है।

(पैरा 33)

इसके अलावा, यह माना गया है कि ऊपर जो देखा गया है, उसके मद्देनजर, याचिकाकर्ता द्वारा कॉलेज से प्राप्त डिप्लोमा एक मान्यता प्राप्त डिप्लोमा है और इसके लिए तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार से किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है और साथ ही बोर्ड के साथ संबद्धता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता जूनियर इंजीनियर (सिविल) के रूप में नियुक्ति का हकदार होगा।

(पैरा 35)

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आरके मलिक और अधिवक्ता श्री तेज पाल ढुल उपस्थित थे।

श्री गगनदीप एस वासु, अतिरिक्त ए.जी. हरियाणा, राज्य के लिए

प्रतिवादी संख्या 4 के लिए श्री राजेश श्योराण, वकील।

प्रतिवादी क्रमांक 5 की ओर से श्री सुनील के. नेहरा, अधिवक्ता।

न्यायमूर्ति अमित रावल,- वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दिनांक 17.10.2012 के अनुलग्नक पी-6 को दी गई है, जिसमें याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि महर्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय, मुलाना (अंबाला) (संक्षेप में "विश्वविद्यालय") द्वारा प्रदान किए गए सिविल इंजीनियरिंग में प्राप्त डिप्लोमा को तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (इसके बाद "एचएसबीटीई" कहा जाता है) से संबद्ध नहीं है। इसलिए, HSBTE द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।

2. विधि का प्रश्न, जो इस न्यायालय द्वारा अधिनिर्णय के लिए उठता है, यह है कि क्या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा, जो एक मानित विश्वविद्यालय है, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित न होने और एचएसबीटीई से संबद्ध होने के कारण अमान्य होगा।

3. याचिकाकर्ता को संक्षिप्त तथ्य देना उचित होगा, जिसके परिणामस्वरूप आक्षेपित निर्णय (अनुलग्नक पी -6) की सूचना दी गई है।

4. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग-प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 2/2010 के अनुसरण में, जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 267 पदों सहित विभिन्न पदों को विज्ञापित

किया गया था और याचिकाकर्ता ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए आवेदन किया था। उपर्युक्त विज्ञापन में निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं नीचे दी गई हैं: -

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स।

(ii) मैट्रिक कक्षा तक हिंदी/संस्कृत।

उम्र	17 से 40 वर्ष
वेतनमान	9300-34800+3600 जी.पी.

5. तत्पश्चात्, दिनांक 18-10-2011 के शुद्धिपत्र के तहत कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पदों को 267 से बढ़ाकर 422 कर दिया गया। 267 विज्ञापित पदों में से 93 पद सामान्य वर्ग के थे। याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पास किया है, जो 12.6.2007 की अधिसूचना (अनुबंध पी-4) के अनुसार एक डीम्ड विश्वविद्यालय है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (संक्षिप्तता "1956 अधिनियम" के लिए) की धारा 3 के तहत महर्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय, मुलाना-अंबाला (हरियाणा) को "डीम्ड विश्वविद्यालय" घोषित किया है। जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र से संबद्ध थे, असंबद्ध थे और मुलाना विश्वविद्यालय से संबद्ध थे, जिसका विवरण नीचे दिया गया है: -

(i) एमएम इंजीनियरिंग कॉलेज, मुलाना, अंबाला;

(ii) एमएम कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी एवं व्यवसाय प्रबंधन संस्थान (एमसीए), मुलाना, अंबाला;

(iii) एमएम कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, मुलाना, अंबाला;

(iv) एमएम फिजियोथेरेपी एवं पुनर्वास संस्थान, मुलाना, अंबाला;

(v) एमएम इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट (होटल मैनेजमेंट), मुलाना, अंबाला;

(vi) एमएम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, मुलाना, अंबाला;

(vii) एमएम प्रबंधन संस्थान, मुलाना, अम्बाला;

(viii) एमएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मुलाना, अंबाला;

(ix) एमएम फार्मेसी कॉलेज, मुलाना, अंबाला; और

(x) एमएम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च नर्सिंग कॉलेज, मुलाना, अंबाला।

6. भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (संक्षेप में एआईसीटीई) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संक्षिप्तता "यूजीसी") की भूमिका और शक्तियों के संबंध में दिनांक 7.4.2006 को एक स्पष्टीकरण जारी किया। (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सम-विश्र्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित संस्थाओं में शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से 1956 में संशोधन किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 20 (1) के तहत केंद्र सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त स्पष्टीकरण जारी किया गया था। उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार, केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को निदेश दिया है कि वे अपनी संबंधित संस्थागत वेबसाइटों सहित उपयुक्त माध्यमों से आम जनता की सूचना के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण का प्रचार करें-

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी संस्थान को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिश करते समय अखिल भारतीय तकनीकी

शिक्षा परिषद या अन्य संबंधित सांविधिक प्राधिकरणों की सलाह ले सकता है, जैसा भी मामला हो (उदाहरण के लिए तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, चिकित्सा शिक्षा के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद, दंत चिकित्सा शिक्षा आदि के लिए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया;

2) यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' के रूप में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संस्थानों को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत निर्दिष्ट और अधिसूचित डिग्री प्रदान करने का अधिकार है;

3. मानित विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किसी संस्थान के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त करना कोई पूर्व-शर्त नहीं है कि वह तकनीकी या प्रबंधन शिक्षा में ऐसा कोई कार्यक्रम शुरू करे जिससे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 के अंतर्गत आने वाले विषयों में डिग्रियों सहित कोई पुरस्कार प्राप्त किया जा सके। तथापि, सम-विश्र्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे उक्त परिषद् के क्षेत्राधिकार में आने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों का अनुरक्षण सुनिश्चित करें। यह अपेक्षा की जाती है कि सम-विश्र्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित संस्थाएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम शिक्षा के मानकों को उच्चतर बनाए रखें;

4) एआईसीटीई अधिनियम, 1987 की धारा 11 (1) के तहत प्रावधानों के अनुसार, एआईसीटीई एआईसीटीई अधिनियम, 1987 के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' के रूप में घोषित संस्थान के संबंधित विभागों का निरीक्षण कर सकता है ताकि उनके द्वारा मानकों का रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके;

5) तथापि, जबकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद परिषद की विशेषज्ञ समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर सम-विश्र्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित संस्थाओं को कोई निदेश जारी नहीं करेगी, परिषद अपनी विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ध्यान में ला सकती है, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों पर विचार करने के बाद, यदि कोई हो, तो उचित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है;

6) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(घ) विश्र्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह सम-विश्र्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित संस्थाओं सहित किसी भी विश्र्वविद्यालय को विश्र्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करे और ऐसी सभी कार्रवाइयों के लिए उन्हें सलाह दे सके जो ऐसी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन र्‍थ आवश्यक हैं;

7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 13 विश्र्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह विश्र्वविद्यालय या उसके किसी विभाग के परामर्श से शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का पता लगाने के उद्देश्य से नियमों/विनियमों द्वारा विहित तरीके से निरीक्षण करे;

8) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सम-विश्र्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित विश्वविद्यालयों/संस्थाओं का निरीक्षण करने की शक्ति को उनके संबंधित अधिनियमों की 'प्रस्तावनाओं' और 'कारणों के विवरण' के आलोक में अलग से देखा जाना चाहिए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को दिए गए निरीक्षण की शक्तियां विशेष रूप से प्रबंधन और तकनीकी शिक्षा

में मानकों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए हैं, जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निरीक्षण की शक्ति सम-विश्र्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के समग्र कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए है, जिसमें उनके संकाय भी शामिल हैं, ताकि प्रशासनिक और शैक्षिक मानकों सहित विश्वविद्यालय के समग्र मानकों को सुनिश्चित किया जा सके;

9) यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 14 उन संस्थानों सहित विश्वविद्यालयों की विफलता के परिणामों से संबंधित है जो आयोग की सिफारिशों का अनुपालन करने के लिए 'सम विश्वविद्यालय हैं';

10) सम-विश्र्वविद्यालय बनने वाले सभी संस्थानों को विश्र्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों/सिफारिशों का पालन करना अपेक्षित है, जिसमें विफल रहने पर विश्र्वविद्यालय अनुदान आयोग सम-विश्वविद्यालय का दर्जा वापस लेने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश करने पर भी विचार कर सकता है;

11) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों, यदि कोई हों, का तरीका आयोग और परिषद द्वारा उनके संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुसार होगा। तथापि, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नियम/विनियम केवल सम-विश्र्वविद्यालय संस्थाओं के संबंध में रिपोर्ट के निरीक्षण, तैयारी और प्रस्तुत करने तक ही सीमित रह सकते हैं। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कार्रवाई को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार विश्र्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपयुक्त विनियमों के माध्यम से अलग से निपटाए जाने की आवश्यकता है;

12) विभिन्न तकनीकी और प्रबंधन पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मानकों के साथ-साथ 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' के रूप में अधिसूचित संस्थानों

पर यूजीसी के दिशानिर्देश क्रमशः यूजीसी और एआईसीटीई की आधिकारिक वेबसाइट (www.ugc.ac.in और www.aicte.ernet.in) पर उपलब्ध हैं।

7. स्पष्टीकरण संख् या 3 के अवलोकन से यह स् पष् ट है कि किसी मानित विश् वविद्यालय के लिए तकनीकी या प्रबंधन शिक्षा में कोई भी कार्यक्रम शुरू करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप् त करना पूर्व-आवश् यक नहीं है, जिसके लिए एआईसीटीई अधिनियम, 1987 के अंतर्गत आने वाले विषयों में डिग्री सहित कोई पुरस् कार प्राप् त किया जा सके। तथापि, यह उल्लेख किया गया था कि सम-विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित संस्थाओं को उक्त परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों का अनुरक्षण सुनिश्चित करना अपेक्षित था/हैं।

8. यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि उपरोक्त कॉलेज को डीम्ड विश्वविद्यालय, हरियाणा सरकार का दर्जा देने से पहले, शिक्षा विभाग ने नियुक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की योग्यताओं की मान्यता के विषय पर सभी विभागाध्यक्षों को दिनांक 18.3.1975 को पत्र परिचालित किया था। दिनांक 18.3.1975 के पत्र की प्रति को अनुलग्नक पी-3 के रूप में रिट याचिका के साथ संलग्न किया गया है और सीनियर नंबर 2 के अनुसार, यह प्रावधान किया गया है कि डिग्री और डिप्लोमा आदि, जो राज्य द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और उच्च / उच्चतर माध्यमिक बोर्ड द्वारा जारी किए जाते हैं, उन्हें भी तथ्य के रूप में मान्यता दी जाएगी। उक्त नियम नीचे दिया गया है: -

2. राज्य द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और उच्च/उच्चतर माध्यमिक बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली डिग्री और डिप्लोमा आदि को भी वास्तविक रूप से मान्यता दी जाएगी।

9. याचिकाकर्ता, जिसने सीबीएसई और हिंदी से अपनी मैट्रिक पास की है, जो एक विषय था, ने महर्षि मार्कंडेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज, अंबाला (हरियाणा) से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी प्राप्त किया है, जो एक डीम्ड विश्वविद्यालय है, जो वास्तव में प्रमाण पत्र अनुलग्नक पी -1 और पी -2 की प्रतियों से स्पष्ट है।

10. याचिकाकर्ता ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए आवेदन किया और उसे रोल नंबर 003426 जारी किया गया। परिणाम की घोषणा पर, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता का चयन किया गया था और मेरिट सूची में सीनियर नंबर 13 पर था, लेकिन याचिकाकर्ता यह जानकर हैरान था कि याचिकाकर्ता की योग्यता में कम उम्मीदवार अगस्त, 2012 के दूसरे सप्ताह में शामिल हुए हैं। पूछताछ करने पर, याचिकाकर्ता को दिनांक 17.10.2012 (अनुबंध पी-6) के आक्षेपित पत्र/संचार के माध्यम से सूचित किया गया था कि महर्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय एचएसबीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और इसलिए, उक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया डिप्लोमा मान्यता प्राप्त नहीं है। दिनांक 17.10.2012 के पत्र की विषय-वस्तु (अनुलग्नक पी-6) नीचे दी गई है:-

"संख्या 5182/7एनजीई II/2012 दिनांक: 17/10/12

इंजीनियर-इन-चीफ, हरियाणा सिंचाई विभाग, पंचकुला से।

सिमरन सिंह पुत्र तेजवंत सिंह गांव पखाना पीओ तरावरी, करनाल।

उप:- जेई (सिविल) के पद पर विज्ञापन संख्या 2/2010 श्रेणी संख्या 25 की सिफारिश के खिलाफ चयन।

ऊपर उल्लिखित विषय पर विज्ञापन संख्या 2/2010 श्रेणी संख्या 25 के खिलाफ जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए अपने आवेदन / सिफारिश का संदर्भ दें।

सिफारिश सूची की शर्त संख्या 4 के अनुसार महर्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए सिविल इंजीनियरिंग में आपके डिप्लोमा को इस कार्यालय ज्ञापन संख्या 4219/7एनजीई-II/2012 दिनांक 21.8.2012 के माध्यम से सत्यापन के लिए हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड को भेजा गया था।

इस संबंध में सचिव, हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने दिनांक 3.10.2012 के अपने ज्ञापन सं. 12983/एचएसबीटीई के माध्यम से सूचित किया है कि महर्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं है और पुरस्कार देने वाला संस्थान/विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (एचएसबीटीई) से संबद्ध नहीं है और इसलिए यह एचएसबीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।

उपरोक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए महर्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया डिप्लोमा हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, इस प्रकार आपको इस विभाग में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

स्थापना अधिकारी,

सिंचाई विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ के लिए

हरियाणा, पंचकूला।

11. दिनांक 17.10.2012 के उक्त पत्र में दिनांक 3.10.2012 के पत्र का संदर्भ भी दिया गया था। दिनांक 3.10.2012 के पत्र की विषय-वस्तु भी नीचे दी गई है:-

"से

सचिव

हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड,

खाड़ी 7-12, सेक्टर -4, पंचकूला।

तक

इंजीनियर-इन-चीफ, हरियाणा,

हरियाणा सिंचाई विभाग,

पंचकूला।

मेमो नंबर 12983/एचएसबीटीईडी: 03/10/12

विषय:-

महर्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय, मुलाना द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा की स्थिति के संबंध में - जूनियर इंजीनियरिंग (सिविल) के पद पर चयन।

ऊपर उल्लिखित विषय पर दिनांक 21.08.2012 के आपके पत्र सं. 4219/एनजीई-II/2012 के संदर्भ में।

इस संबंध में, यह कहा गया है कि महर्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं है और पुरस्कार देने वाला संस्थान / विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (एचएसबीटीई) से संबद्ध नहीं है और इसलिए, यह एचएसबीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।

सहायक सचिव

सचिव, एचएसबीटीई के लिए,

पंचकूला।

12. इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर करके प्रतिवादियों की उपरोक्त कार्रवाई को चुनौती दी है और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी को भी संलग्न किया है।

13. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री आरके मलिक ने तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता ने सत्र 2008-2011 में डिप्लोमा प्राप्त किया था, इसलिए इस संबंध में एआईसीटीई से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या एमएम इंजीनियरिंग कॉलेज एआईसीटीई द्वारा विधिवत अनुमोदित था या नहीं और दिनांक 2.5.2008 के पत्र (अनुबंध पी -9) के अनुसार, एआईसीटीई ने स्पष्ट किया कि एमएम इंजीनियरिंग कॉलेज प्रवेश के साथ पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए सक्षम है। दिनांक 2-5-2008 के पत्र का संगत भाग (अनुलग्नक पी-9) नीचे दिया गया है:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

संख्या 765-62-206 (ई)/ईटी/95 दिनांक: 02/05/2008

तक

आयुक्त और सचिव,

तकनीकी शिक्षा

हरियाणा सरकार,

सचिवालय, चंडीगढ़-160001

उप:- एम.एम. ईएनजी के अनुमोदन का विस्तार। कॉलेज, पी.ओ. मुलाना, जिला। अंबाला, हरियाणा-134203

महोदय

दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के एफ सं 37-3/विधिक/2004 के तहत परिषद द्वारा अधिसूचित विनियमों और परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों, मानकों, प्रक्रियाओं और शर्तों तथा मूल्यांकन समिति/विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर मुझे निदेश दिया जाता है कि मैं परिषद के अनुमोदन के विस्तार की जानकारी एम.एम. ईएनजी कॉलेज को दूं। पी.ओ. मुलाना, जिला। अंबाला, हरियाणा-134203 निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए नीचे दिए गए प्रवेश के साथ: -

पाठ्यक्रम का नाम	*मौजूदा सेवन*	*संशोधित सेवन*	*अनुमोदन की अवधि*
सिविल इंजीनियरिंग	120	120	
कंप्यूटर इंजीनियरिंग	120	120	
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	60	60	
इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग	120	120	
इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग	60	60	
सूचना प्रौद्योगिकी	120	120	
M.TECH. कंप्यूटर एससी और इंजीनियरिंग। (PT)	18	18	
M.TECH. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।	18	18	

M.TECH. इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग।	18	18	
M.TECH. विनिर्माण प्रणाली इंजीनियरिंग।	18	18	
मैकेनिकल इंजीनियरिंग	120	120	
कुल	792	792	

अपेक्षित प्रसंस्करण शुल्क के साथ अनुपालन रिपोर्ट अनुमोदन की अवधि पर ध्यान दिए बिना हर साल 31अगस्त तक प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

उपर्युक्त अनुमोदन 31 अगस्त, 2008 तक निम्नलिखित टिप्पणियों/कमियों/विशिष्ट शर्तों में सुधार के अध्यधीन है।

14. यह स्पष्ट है कि एमएम इंजीनियरिंग कॉलेज, मुलाना, अंबाला (हरियाणा) सिविल इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों का संचालन करने के लिए सक्षम था।

15. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि हरियाणा सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग ने 29.4.2009 को अधिसूचना जारी की, जिसके तहत उसने प्रवेश से संबंधित शुल्क मामलों के संबंध में एआईसीटीई अनुमोदित तकनीकी पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले डीम्ड विश्वविद्यालयों/ संस्थानों की गतिविधियों की निगरानी के लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति का गठन किया। उपर्युक्त अधिसूचना को विश्वविद्यालय द्वारा 2009 की सिविल रिट याचिका संख्या 8130 के तहत इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी और रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हरियाणा ने एक स्पष्टीकरण जारी किया कि 29.4.2009 की अधिसूचना से "डीम्ड विश्वविद्यालय" शब्द हटा दिए गए थे और इस प्रकार, कॉलेज / विश्वविद्यालय की शिकायत

सही साबित हुई थी। उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया गया क्योंकि उस पर जोर नहीं दिया गया था।

16. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि आक्षेपित पत्रों (अनुबंध पी -6 और पी -7) के अनुसार, राज्य के पास डिप्लोमा को मान्यता नहीं देने में कोई विधायी शक्ति या क्षमता नहीं है, इस आधार पर कि इसे तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और एचएसबीटीई से संबद्ध नहीं किया गया था। उन्होंने आगे दलील दी कि जूनियर इंजीनियरों (सिविल) के 350 पद खाली पड़े हैं।

17. प्रतिवादी संख्या 3-हरियाणा कर्मचारी चयन समिति ने एक अलग लिखित बयान दायर किया, जबकि प्रतिवादी नंबर 1 और 2, यानी सिंचाई विभाग, हरियाणा और इंजीनियर-इन-चीफ, सिंचाई विभाग ने संयुक्त लिखित बयान दायर किया और प्रतिवादी नंबर 4- हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने भी एक अलग लिखित बयान दायर किया।

18. लिखित बयान में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा लिया गया रुख यह है कि चूंकि महर्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय हरियाणा सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं है, इसलिए यह एचएसबीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए यह एचएसबीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और तदनुसार प्रतीक्षा सूची में सीनियर नंबर 1 पर उम्मीदवार है, यानी, प्रतिवादी नंबर 5 नवीन शर्मा ने 11.12.2012 को जूनियर इंजीनियर (सिविल) के रूप में कार्यभार संभाला है और इसलिए, चयन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ता इस देरी से चरण में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है।

19. प्रतिवादी संख्या 4 ने दिनांक 21.11.2013 के लिखित बयान में रिट याचिका की विचारणीयता पर प्रारंभिक आपत्तियां उठाने के अलावा एआईसीटीई अधिनियम, 1987 की धारा 2 (जी), 2 (एच) और 10 (के) के प्रावधानों की सहायता भी ली और यूजीसी द्वारा जारी किए गए दिनांक 26.10.2007 के कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति भी संलग्न की। जिसमें यह उल्लेख

किया गया था कि चूंकि महर्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय, मुलाना, अंबाला (हरियाणा) को दिनांक 12-6-2007 की अधिसूचना (अनुलग्नक पी-4) द्वारा मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया था, इसलिए इसकी घोषणा सभी शर्तों के अधीन थी और शर्त संख्या (vii), (viii) और (xii) पर बहुत अधिक निर्भर थी। पक्षकारों के बीच वर्तमान विवाद के अधिनिर्णय के लिए, शर्त संख्या (vii), (viii) और (xii), पूर्वोक्त, नीचे दी गई है: -

"महर्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय या इसकी कोई भी घटक इकाई अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम की पेशकश या संचालन नहीं करेगी जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और संबंधित वैधानिक परिषदों जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई), डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई), इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी) आदि द्वारा विधिवत अनुमोदित नहीं हैं, जैसा भी मामला हो;

(viii) महर्षि मारकंडेश्वर विश्र्वविद्यालय यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आदि के संगत निर्धारित मानदण्डों और दिशानिर्देशों के अनुसार ही पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करेगा। डिग्री प्रदान करने के उद्देश्य से इसके द्वारा शुरू किए गए ऐसे पाठ्यक्रम / कार्यक्रम भी यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अनुरूप होने चाहिए; और

(xii) महर्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य संगत सांविधिक परिषदों जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय आयुवळ्ाना संस्थान, डीसीआई, भारतीय कांग्रेस आदि से अनुमोदन/अनुमति का अपेक्षित नवीकरण, जैसा भी मामला हो, प्रस्तावित पाठ्यक्रमों, विद्याथयों की प्रवेश क्षमता आदि के संबंध में निर्धारित मानदंडों के अनुसार समय-सीमा के भीतर नियमित रूप से प्राप्त करेगा।

20. प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पेश अधिवक्ता श्री राजेश श्योराण ने दिनांक 26.10.2007 के कार्यालय ज्ञापन (अनुबंध आर 4/1) पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि महर्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय को यूजीसी और एआईसीटीई आदि के प्रासंगिक निर्धारित मानदंडों और

दिशानिर्देशों के अनुसार कानून के अनुसार अपने पाठ्यक्रम / कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है और डिग्री प्रदान करने के उद्देश्य से इसके द्वारा शुरू किए गए पाठ्यक्रम / कार्यक्रम भी धारा 22 के अनुरूप होने चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 और विश्वविद्यालय को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य संगत सांविधिक परिषदों जैसे एआईसीटी, एमसीआई, डीसीआई, आईएनसी आदि से अनुमोदित अनुमोदन/अनुमति का अपेक्षित नवीकरण प्राप्त करना अपेक्षित है।

21. उपर्युक्त प्रस्तुतियों का समर्थन करने के लिए, वकील ने एआईसीटीई द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस (अनुबंध आर 4/3) पर भी भरोसा किया, जिसके तहत एआईसीटीई ने फ्रेंचाइजी मोड में और / या कुछ विश्वविद्यालयों के सहयोग से अपने परिसरों / किराए के परिसर में तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया और शर्त संख्या 5 पर भरोसा किया।

22. उन्होंने हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 27 (ए) और (बी) के प्रावधानों का उल्लेख किया ताकि विवादित निर्णय (अनुबंध पी -6) में लिए गए रुख का समर्थन किया जा सके, जो अनिवार्य रूप से बोर्ड की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है। संक्षिप्तता के लिए, उक्त अधिनियम के उप-खंड (ए) और (बी) नीचे दिए गए हैं: -

"27. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड की शक्तियाँ और कर्तव्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात्:-

(क) सामान्य रूप से डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा से संबंधित नीतिगत मामलों पर और निम्नलिखित विषयों पर सरकार को सलाह देना, अर्थात् :-

(i) डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों और राज्य नीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना;

(ii) माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, डिग्री शिक्षा और डिप्लोमा स्तर की शिक्षा के बीच समन्वय स्थापित करना;

(iii) डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा के एक समान मानक को बनाए रखना;

(iv) उद्योग संस्थान परस्पर क्रिया को बढ़ावा देना;

(ख) पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करना और सभी श्रेणियों जैसे नियमित, सैंडविच, अंशकालिक, पत्राचार पाठ्यक्रम, वाषक, सेमेस्टर पैटर्न आदि के लिए डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम तैयार करना।

23. उपरोक्त खंडों का उल्लेख करते हुए, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बोर्ड को सामान्य रूप से डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा से संबंधित नीति के मामलों और निर्धारित मामलों पर सरकार को सलाह देने का अधिकार है और डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम निर्धारित करने और तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत भी निर्धारित करने का अधिकार है। उन्होंने 2008 अधिनियम की धारा 40 के प्रावधानों पर भी भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि बोर्ड के पास इस अधिनियम के प्रावधानों अर्थात् समितियों के गठन, शक्तियों और कर्तव्यों आदि को लागू करने के उद्देश्य से शासी परिषद के अनुमोदन से विनियम बनाने की शक्ति है।

24. प्रतिवादी संख्या 4 ने लिखित बयान में लिए गए रुख के अलावा दिनांक 20.11.2014 को एक अतिरिक्त हलफनामा भी दायर किया और इस दलील को उठाया कि डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित करने के लिए एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित प्रत्येक नए पॉलिटेक्निक संस्थान को प्रवेश देने से पहले संबंधित राज्य के संबद्ध निकाय के साथ संबद्धता प्राप्त करना आवश्यक है।

25. हलफनामे की उपरोक्त सामग्री को याचिकाकर्ता द्वारा एक संक्षिप्त प्रतिकृति दायर करके अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके तहत धारा 2 (जे) का संदर्भ यह तर्क देने के लिए किया गया था कि 2008 अधिनियम केवल पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या प्रबंधन शिक्षा या कंप्यूटर अनुप्रयोगों या संबद्ध कला और शिल्प या फार्मेसी या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर में डिप्लोमा या पोस्ट-डिप्लोमा या एडवांस्ड डिप्लोमा प्रदान करने वाले अन्य संस्थानों पर लागू होता है। इस प्रकार, इसका "विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय" पर कोई आवेदन नहीं होगा। यूजीसी दिशानिर्देशों और यूजीसी विनियम, 2010 का संदर्भ अनुलग्नक पी-13 और पी-14 के रूप में संलग्न करके भी दिया गया था और उसके अनुसार यूजीसी ने संस्था को सम-विश्वविद्यालय के रूप में अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक संस्थान को एसोसिएशन का ज्ञापन/ट्रस्ट विलेख और नियम और उप-नियम तैयार करना होगा और विश्वविद्यालय की शक्तियों और कार्यों को भी परिभाषित करना होगा। जिसमें डिग्री प्रदान करने और उन व्यक्तियों को "डिप्लोमा" और / या प्रमाण पत्र प्रदान करने की शक्ति भी शामिल थी जिन्होंने अध्ययन और / या अनुसंधान के अनुमोदित पाठ्यक्रमों को संतोषजनक ढंग से पूरा किया है। दिशानिर्देशों का संगत खंड 4 नीचे दिया गया है:-

4. संस्थान की शक्तियां और कार्य

उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और संस्थान की संपतियों के प्रबंधन के लिए, संस्थान के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी:

(i) अध्ययन और अनुसंधान के पाठ्यक्रम स्थापित करना और अध्ययन की ऐसी शाखाओं में अनुदेश प्रदान करना जो संस्थान ऐसी शाखाओं में सीखने और ज्ञान के प्रसार की उन्नति के लिए उपयुक्त समझे;

(ii) उन व्यक्तियों को डिग्रियां प्रदान करना और डिप्लोमा और/या प्रमाणपत्र प्रदान करना जिन्होंने निर्धारित अध्ययन और/या अनुसंधान के अनुमोदित पाठ्यक्रमों को संतोषजनक ढंग से पूरा कर लिया है और निर्धारित परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो चुके हैं;

(iii) विजिटर शिप, फैलोशिप, प्रदर्शन, पुरस्कार और पदक स्थापित करना और पुरस्कार प्रदान करना।

26. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने खंडन में नियम (xxxiv) पर जोर देकर विनियमन के साथ संलग्न संस्था द्वारा तैयार किए जाने वाले नियमों के सेट का उल्लेख किया, जिसके तहत प्रबंधन को संस्थान में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों और डिग्री और डिप्लोमा में प्रवेश के लिए परीक्षा या परीक्षण आयोजित करने और ऐसी परीक्षाओं और परीक्षणों के परिणाम घोषित करने और प्रदान करने की शक्ति दी गई है। डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक खिताब और भेद प्रदान करना या प्रदान करना। नियम (xxxiv) नीचे दिया गया है: -

"संस्थान में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा एं या परीक्षण आयोजित करना, डिग्री और डिप्लोमा के लिए परीक्षा आयोजित करना और ऐसी परीक्षाओं और परीक्षणों के परिणाम घोषित करना और डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक खिताब और भेद प्रदान करना, प्रदान करना या प्रदान करना।

27. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने 1956 के अधिनियम की धारा 26 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी अनुलग्नक पी -14, यानी यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 का भी उल्लेख किया। उन्होंने न्यायालय का ध्यान अनुलग्नक पी-14 के रूप में संलग्न अनुलग्नक की ओर दिलाया है, जो संस्थान "सम-विश्वविद्यालय" के कार्यक्रम से संबंधित है, जिसमें सभी संस्थानों को यह निर्देश दिया गया है कि अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, संस्थान अनुमोदित कार्यक्रमों

को पूरा करने वाले व्यक्तियों को डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र की प्रकृति का उल्लेख करेंगे। बहस के दौरान, श्री मलिक ने दिनांक 23.12.2013 के पत्र की प्रति भी सौंपी है, जिसके तहत यूजीसी ने मसौदा विनियमन, 2013 पर हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए थे और परिशिष्ट 2 के अनुसार, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी स्तर: डिप्लोमा की धारा में पाठ्यक्रमों के अनुमोदित शीर्षक भी निर्धारित किए गए हैं। जहां सिविल इंजीनियरिंग को भी पाठ्यक्रम के शीर्षक को अनुमोदित दिखाया गया है। इसके संबंधित भाग को नीचे दिया गया है: -

"परिशिष्ट 2: पाठ्यक्रमों के अनुमोदित शीर्षक

2.1 कार्यक्रम: इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी स्तर: डिप्लोमा।

सीनियर नं.	*पाठ्यक्रम का नाम*
1	3-डी एनीमेशन और ग्राफिक्स
2	XXX XXX XXX
54	सिविल इंजीनियरिंग

28. मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है, पेपर बुक और विनियमों का मूल्यांकन किया है और मेरा विचार है कि दिनांक 3.10.2012 (अनुलग्नक पी-7) के पत्र के आधार पर आक्षेपित पत्र 17.10.2012 (अनुलग्नक पी-6) कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और इस प्रकार, निम्नलिखित कारणों से निरस्त किया जा सकता है: -

29. 2008 के हरियाणा अधिनियम संख्या 19 की धारा 27 के अनुसार, एचएसबीटीई के पास केवल डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा से संबंधित नीति के मामलों पर सरकार को सलाह देने और पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित

करने की शक्ति और कर्तव्य है, लेकिन पूरे अधिनियम में, किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी भी डिप्लोमा की संबद्धता या मान्यता प्राप्त करने या मांगने की किसी भी शक्ति के साथ प्रोत्साहित नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय". यहां तक कि अध्याय 5 के तहत धारा 40 भी बोर्ड को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से शासी परिषद के अनुमोदन से नियमितीकरण करने का अधिकार देती है।

30. प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान वकील का तर्क है कि अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों के अनुसार, विश्वविद्यालयों को केवल डिग्री प्रदान करने का अधिकार है, विशेष रूप से स्नातक पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा नहीं, क्योंकि महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, मुल्लाना द्वारा प्रदान की गई छह साल की एकीकृत डिग्री यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट नहीं की गई है और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया तीन साल का डिप्लोमा एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित नहीं है और, इसलिए, राज्य ने सही कहा है कि विश्वविद्यालय ने दिनांक 26-10-2007 के पत्र द्वारा यूजीसी द्वारा प्रदान की गई अनुमोदन की शर्त का पालन नहीं किया है, यह भी टिकाऊ नहीं है क्योंकि दिनांक 2-5-2008 के पत्र के संगत भाग से पता चलता है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने एमएम इंजीनियरिंग को अनुमोदन प्रदान किया था। कॉलेज, पी.ओ. मुलाना, जिला। अंबाला, हरियाणा द्वारा निर्दिष्ट संख्या में प्रवेश के साथ सिविल इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम का संचालन करना है और इस पत्र का उत्तरदाताओं द्वारा पूरे लिखित बयान में खंडन नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि प्रारंभिक प्रस्तुतियों में किए गए कथन और पूर्वगामी पैरा को पैरा 8 (ए) के जवाब के रूप में माना जा सकता है। तथापि, सभी प्रारंभिक आपत्तियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एमएम इंजीनियरिंग कॉलेज, मुलाना के संबंध में यूजीसी द्वारा दिनांक 26-10-2007 को जारी कार्यालय ज्ञापन अर्थात खंड (vii), (viii) और (xii) पर प्रतिवादियों द्वारा भारी भरोसा किया गया है, जिसमें केवल यह प्रावधान है कि विश्वविद्यालय केवल यूजीसी के प्रासंगिक निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करेगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आदि अन्य संगत

सांविधिक परिषदों जैसे एआईसीटीई, एमसीआई, डीसीआई, आईएनसी से अनुमोदन/अनुमति का अपेक्षित नवीकरण प्राप्त करेगी, लेकिन पुनरावृत्ति के प्रयोजनार्थ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने दिनांक 2-5-2008 के पत्र (अनुलग्नक पी-9) के माध्यम से इसे स्पष्ट किया है और कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय को विनिदष्ट संख्या में प्रवेश के साथ सिविल इंजीनियरिंग प्रदान करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। इस प्रकार, संक्षेप में, महर्षि मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत घोषित एक डीम्ड विश्वविद्यालय होने के नाते, एआईसीटीई का अनुमोदन था क्योंकि याचिकाकर्ता ने सत्र 2008-2011 के लिए अपना डिप्लोमा कोर्स किया था।

31. वास्तव में, प्रतिवादी संख्या 4 आक्षेपित पत्रों अनुलग्नक पी -6 और पी -7 में एक सुसंगत रुख पर कायम नहीं रहा है, जिसमें केवल हरियाणा सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा शक्तियों और अनुमोदन के संबंध में जोर दिया गया है और कॉलेज को डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा देते समय यूजीसी द्वारा लगाई गई शर्तों के पालन का कोई संदर्भ नहीं है। जैसा कि हो सकता है, ऊपर जो देखा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालय को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था।

32. जहां तक एचएसबीटीई के साथ संबद्धता का संबंध है, उक्त याचिका प्रतिवादियों के सामने स्पष्ट रूप से आती है क्योंकि अधिनियम के किसी भी प्रावधान में डीम्ड विश्वविद्यालयों के विनियमों/ज्ञापन संघ पर बोर्ड द्वारा कोई गहरा और व्यापक नियंत्रण प्रदान नहीं किया गया है। बोर्ड की भूमिका केवल परामर्शी प्रकृति की होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विनियम न्यायालय के मन में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि यह केवल एक मानित विश्र्वविद्यालय है, जिसे डिग्रियों और डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा और परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई है। विनियमों का विवरण पहले

ही ऊपर दिया जा चुका है, जिसे किसी भी पुनरावृत्ति से बचने के लिए दोहराया नहीं जा सकता है।

33. उपर्युक्त विनियमों, जिन्हें संस्थान द्वारा मानित विश्वविद्यालय के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया है, को पढ़ने से प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में संतुलन नहीं झुकता है, यह तर्क देने के लिए कि ऐसे विनियमों के लिए अनिवार्य रूप से डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा किसी बोर्ड के साथ संबद्धता या तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ बहुत कम अनुमोदन की आवश्यकता होती है। हरियाणा सरकार। विश्वविद्यालय अधिनियम अपने आप में एक संहिता है। हरियाणा सरकार 2008 के अधिनियम की घोषणा द्वारा केंद्र सरकार की शक्तियों, सीमाओं का अतिक्रमण/अतिक्रमण नहीं कर सकती है।

34. राज्य ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित तकनीकी पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले मानित विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की गतिविधियों के संबंध में प्रवेश संबंधी शुल्क मामलों के संबंध में एक निगरानी समिति गठित करके पहले ही एक भ्रांति की थी और अपनी गलती का एहसास करते हुए दिनांक 14.10.2009 (अनुलग्नक पी-11) के पत्र के माध्यम से अधिसूचना (अनुलग्नक पी-10) से "मानित विश्वविद्यालय" शब्द को हटा दिया था, वह भी रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान। जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना के खिलाफ दायर किया गया था। मानित विश्र्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करना विश्र्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के उपबंधों द्वारा कड़ाई से अभिशासित होता है। कोई अन्य स्थानीय अधिनियम या बोर्ड का गठन करके सरकार द्वारा किया गया प्रयास यूजीसी की शक्तियों पर रोक नहीं लगा सकता है जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है, जिसके तहत अधिनियम की सहायता लेकर, मानित विश्र्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा को इस आधार पर मान्यता प्राप्त नहीं माना गया है कि संस्थान/विश्वविद्यालय बोर्ड से संबद्ध नहीं है।

35. अब याचिकाकर्ता की शिकायत पर आते हुए, मेरिट सूची में सीनियर नंबर 13 पर आने और प्रतीक्षा सूची में सीनियर नंबर 1 पर आने वाले व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए याचिकाकर्ता की स्थिति, यानी प्रतिवादी नंबर 5, को उत्तरदाताओं द्वारा विवादित नहीं किया गया है।

36. ऊपर जो देखा गया है, उसके मद्देनजर, याचिकाकर्ता द्वारा कॉलेज से प्राप्त डिप्लोमा एक मान्यता प्राप्त डिप्लोमा है और इसके लिए तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार और साथ ही बोर्ड के साथ संबद्धता से किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता जूनियर इंजीनियर (सिविल) के रूप में नियुक्ति का हकदार होगा। यहां तक कि याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की यह दलील कि जूनियर इंजीनियरों (सिविल) के 350 पद खाली पड़े हैं, बोर्ड द्वारा विद्वान राज्य वकील द्वारा विवादित नहीं किया गया है, लेकिन तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 5 की तुलना में अधिक मेधावी है।

37. उपर्युक्त टिप्पणियों के परिणामस्वरूप, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। दिनांक 17-10-2012 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-6) निरस्त किया जाता है। प्रतिवादियों को जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद पर योग्यता के आधार पर याचिकाकर्ता को नियुक्ति की पेशकश करने का निर्देश दिया जाता है। आवश्यक कार्रवाई इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर की जानी चाहिए।

38. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता सेवा में शामिल होने की तारीख से सभी लाभों का हकदार होगा।

39. हालांकि, उत्तरदाताओं को रिक्त पड़े पदों के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 5 को समायोजित करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा